संख्या- 40/2024/280/छप्पन-2024-81/2013

प्रेषक,

आनन्द कौशिक,
अनु सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
नागरिक उड्डयन,
उ0प्र0, लखनऊ।

नागरिक उड्डयन अनुभाग लखनऊ; दिनांक: 16 मार्च, 2024

विषय: आगामी महाकुंभ के लिए परिचालन आवश्यकता को पूरा करने के लिए जनपद-प्रयागराज में स्थित भारतीय वायुसेना के एयरपोर्ट पर लिंक टैक्सी-वे के निर्माण के लिए रक्षा भूमि को वार्षिक पट्टा किराया दिए जाने की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्रांक 359/ना0उ0नि0/2024 दिनांक 26 फरवरी, 2024 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- उक्त सन्दर्भित पत्र दिनांक 26 फरवरी, 2024 के द्वारा अवगत कराया गया है कि जनपद-प्रयागराज में स्थित भारतीय वायुसेना के एयरपोर्ट पर सिविल इन्क्लेव के निर्माण हेतु भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण एवं राज्य सरकार के मध्य निष्पादित एम0ओ0यू0 दिनांक 24.02.2014 में विहित व्यवस्थानुसार सिविल इन्क्लेव के निर्माण हेतु राज्य सरकार द्वारा आवश्यक भूमि उपलब्ध कराई जाएगी तथा भूमि प्राप्त होने के उपरान्त सिविल इन्क्लेव का विकास भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा कराया जाएगा। इस सम्बन्ध में एम0ओ0यू0 दिनांक 24.02.2014 में निम्नलिखित व्यवस्था है:- 1.A.B.(a) The GoUP has agreed in principle to purchase/acquire the land (subject to availability) as per Master Plan prepared by AAI for development, extension, up-gradation and operationalisation of the Civil Enclave at Allahabad, UP, to meet the present and future needs.

उक्त अनुबन्ध की शर्त के अनुसार वर्तमान में भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा प्रयागराज एयरपोर्ट पर महाकुंभ के लिए परिचालन आवश्यकता को पूरा करने के लिए रक्षा विभाग की भूमि पर लिंक टैक्सी-वे का निर्माण कराया जाना प्रस्तावित किया गया है , जिसके संबंध में रक्षा विभाग से अनुमति प्राप्त की गयी है। लिंक टैक्सी-वे के निर्माण के लिए रक्षा भूमि वार्षिक पट्टा किराया रू0 28 ,15,800/- का भुगतान किया जाना है।

3- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 में आगामी महाकुंभ के लिए परिचालन आवश्यकता को पूरा करने के लिए जनपद-प्रयागराज में स्थित भारतीय वायुसेना के एयरपोर्ट पर लिंक टैक्सी-वे के निर्माण के लिए रक्षा भूमि वार्षिक पट्टा किराया रू0 28,15,800/- (रू0 अट्ठाईस लाख पन्द्रह हजार आठ सौ मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए उक्त धनराशि जिलाधिकारी , प्रयागराज के निवर्तन पर रखे जाने हेतु अवमुक्त किए जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों/ प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करती हैं:-

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(1) निदेशक, नागरिक उड्डयन द्वारा प्रस्तावित धनराशि को आहरित कर किसी बैंक खाते में नहीं रखा जायेगा। अवमुक्त धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार एवं नियमानुसार किया जायेगा।

(2) निदेशक, नागरिक उड्डयन यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रायोजना का सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही कार्य कराया जाएगा। कार्य की गुणवत्ता, मानक एवं विशिष्टियों की जिम्मेदारी निदेशक, नागरिक उड्डयन की होगी।

(3) निदेशक, नागरिक उड्डयन यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रश्नगत कार्य किसी अन्य कार्ययोजना में सम्मिलित नहीं है तथा इस हेतु पूर्व में किसी अन्य योजना/स्रोत से धनराशि स्वीकृति नहीं की गई है।

(4) बजट प्राविधान के सापेक्ष धनराशि की उपलब्धता का दायित्व निदेशक, नागरिक उड्डयन का होगा। वित्तीय स्वीकृति का आदेश निदेशक, नागरिक उड्डयन द्वारा बजट प्राविधान के सापेक्ष अवशेष धनराशि की उपलब्धता की स्थिति में ही निर्गत किया जाएगा।

(5) निदेशक, नागरिक उड्डयन द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि प्रश्नगत वित्तीय स्वीकृति जिस कार्य/मद हेतु की जा रही है, उसका उपयोग नियमानुसार उसी कार्य/मद हेतु किया जाएगा।

(6) निदेशक, नागरिक उड्डयन यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रस्तावित कार्यों की द्विरावृत्ति नहीं हो रही है।

(7) निदेशक, नागरिक उड्डयन द्वारा वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 17 मार्च, 2023 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

(8) उक्त स्वीकृति धनराशि के आहरण एवं व्यय से सम्बन्धित पक्षों द्वारा वित्तीय नियमों/ आदेशों/प्रक्रिया का अनुपालन किया जाना सुनिश्चित किया जाएगा।

(9) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों, समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जाएगा।

(10) निदेशक, नागरिक उड्डयन द्वारा स्वीकृत की जा रही धनराशि के सापेक्ष व्यय का विवरण यथासमय शासन को उपलब्ध कराया जाएगा।

(11) वित्तीय स्वीकृति प्रदान की जा रही धनराशि के सापेक्ष यदि कोई बचत होती है, तो बचत की धनराशि जिलाधिकारी, प्रयागराज द्वारा राजकोष में जमा कराई जाएगी।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

4- उक्त स्वीकृत धनराशि रू0 28,15,800/- (रू0 अट्ठाईस लाख पन्द्रह हजार आठ सौ मात्र) निदेशक, नागरिक उड्डयन द्वारा तत्काल आवंटित कर जिलाधिकारी, प्रयागराज के निर्वतन पर रखी जायेगी और जिलाधिकारी, प्रयागराज द्वारा यथा आवश्यकता समय-समय पर सम्बन्धित पक्षों को नियमानुसार भुगतान किया जाएगा।

5- प्रश्नगत धनराशि वित्तीय वर्ष 2023-2024 के अनुदान संख्या-38 पूंजी लेखा लेखाशीर्ष ''5053-नागर विमानन पर पूंजीगत परिव्यय-02-विमानपत्तन-800-अन्य व्यय-20-हवाई पट्टियों के निर्माण, विस्तार एवं सुदृढ़ीकरण तथा भूमि अर्जन-60-भूमि क्रय'' से वहन की जाएगी।

6- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय पत्र संख्या: ई-7- 715/दस-2023-24, दिनांक 16 मार्च, 2024 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किए जा रहे हैं।

भवदीय,
आनन्द कौशिक
अनु सचिव

संख्या- 40/2024/280(1)/छप्पन-2024, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- सचिव, रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
2- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)-प्रथम, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
3- उप महालेखाकार/ई0एस0-।।।, आडिट भवन, टीसी-35-वी-1, विभूति खण्ड, गोमती नगर लखनऊ।
4- आयुक्त, प्रयागराज मण्डल, प्रयागराज।
5- अध्यक्ष, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, राजीव गाँधी भवन, सफदरजंग, नई दिल्ली।
6- जिलाधिकारी, प्रयागराज।
7- विमानपत्तन निदेशक, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, बमरौली, प्रयागराज।
8- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ/वरिष्ठ कोषाधिकारी, प्रयागराज।
9- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7/राजस्व अनुभाग-13.
10- समीक्षा अधिकारी (बजट)/गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
आनन्द कौशिक
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।